भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1575
28 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: नगरीय एवं परिनगरीय कृषि

1575. श्री संजय दिना पाटीलः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्थानीय खाद्य सुरक्षा को सुदृढ बनाने, सतत कृषि को बढ़ावा देने तथा उपलब्ध भूमि के प्रभावी उपयोग के उद्देश्य से मुंबई महानगरीय क्षेत्र में नगरीय एवं परिनगरीय कृषि का कोई आकलन किया है;

(ख) रूफटॉप फार्मिंग, संरक्षित खेती, जैविक खेती, हाइड्रोपोनिक्स और अन्य जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की गई उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिससे मुंबई को उपज की आपूर्ति करने वाले किसानों और संस्थानों को लाभ मिल रहा है;

(ग) क्या मुंबई और उसके आसपास परिनगरीय कृषि और किसान समूहों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता या तकनीकी सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) संवहनीय कृषि को सुदृढ करने, परिवहन लागत को कम करने और मुंबई की खाद्य आपूर्ति प्रणालियों की सुदृढ़ता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए या किए जाने का विचार है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, मुंबई महानगर क्षेत्र में शहरी और उप-शहरी कृषि का कोई विशिष्ट आकलन नहीं किया है।

(ख) से (घ): सरकार देश में, उप-शहरी क्षेत्रों सहित, सतत और जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाएँ कार्यान्वित कर रही है, जिनके अंतर्गत विभिन्न कृषि क्रियाकलपों के विकास के लिए सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं के तहत, राज्य को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और क्रियाकलपों को चुनना होता है और हर साल एक सालाना कार्य योजना (AAP) जमा करनी होती है। ऐसी योजनाओं की जानकारी नीचे दी गई है:

(i) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच): राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजनाओं के आधार पर पॉलीहाउस, शेड-नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, ओला-वृष्टि रोधी नेट, हाइड्रोपोनिक्स, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, सूक्ष्म सिंचाई और फसलोपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी संरक्षित खेती के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस और परिवहन लागत को कम करने के लिए रेफ्रिजरेटेड़ परिवहन शामिल हैं। ये कार्यकलाप स्थानीय खाद्य उत्पादन को बढ़ाने, सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और उपलब्ध संसाधनों के कुशल उपयोग को बेहतर बनाने में योगदान करते हैं।

एमआईडीएच के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित संशोधित क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत, मुंबई जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों के आसपास अर्ध-शहरी सब्जी क्लस्टर विकसित करने

का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार करना, बाजार-लिंक्ड उत्पादन को बढ़ावा देना और टमाटर, प्याज और आलू सहित फलों और सब्जियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव को कम करना है। इस योजना के तहत संरक्षित खेती, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, सूक्ष्म-सिंचाई, सटीक कृषि, उत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाना, आईएनएम/आईपीएम पद्धतियों, ट्रेसबिलिटी, आईओटी-आधारित समाधान और अन्य नवीन तकनीकों को सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई): जैविक खेती के संवर्धन के लिए सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) कार्यान्वित कर रही है, जो प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) का एक घटक है। पीकेवीवाई योजना जैविक किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण और विपणन तक क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से संपूर्ण सहायता प्रदान करती है।

(iii) राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ): भारत सरकार प्राकृतिक कृषि को एक सतत, जलवायु-अनुकूल और पर्यावरण अनुकूल कृषि उत्पादन प्रणाली के रूप में बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ) कार्यान्वित कर रही है। इसका उद्देश्य रासायनिक इनपुट पर निर्भरता कम करने और प्राकृतिक इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने वाली स्थान-विशिष्ट कृषि-पारिस्थितिक पद्धतियों को बढ़ावा देकर कृषि में जलवायु सततता को बढ़ाना है। यह योजना बहु-फसली प्रणालियों, बायोमास मल्चिंग आदि के माध्यम से मृदा में कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन को प्रोत्साहित करके मृदा स्वास्थ्य और नमी की मात्रा में सुधार पर भी केंद्रित है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत, प्राकृतिक खेती क्लस्टरों के गठन, किसानों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, बायो-इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना, ऑन-फार्म बायो-इनपुट तैयार करने के लिए सहायता, सूचना, निगरानी और आकलन, प्रमाणन, ब्रांडिंग और प्राकृतिक खेती उत्पादों के लिए बाजार संपर्क के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह मिशन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और संबद्ध मंत्रालयों की अन्य योजनाओं के साथ समन्वय को भी बढ़ावा देता है ताकि प्राकृतिक खेती संबंधी कार्यकलापों के प्रभाव को अधिकतम किया जा सके और सतत खेती के लिए उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित किया जा सके।

(iv) प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी): सूक्ष्म सिंचाई और कुशल जल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) की केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) कार्यान्वित कर रही है। पीडीएमसी योजना का उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई, विशेष रूप से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है।

(v) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना: यह योजना कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में फसल कटाई से पहले और फसलोपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर केंद्रित है, जो किसानों को गुणवत्तापूर्ण इनपुट, बाजार सुविधाएं आदि उपलब्ध कराने में सहायक है। यह राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के क्रियाकलापों के व्यापक समूह से स्थानीय किसानों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अनुकूलता और स्वायत्तता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास और किसानों की आय में वृद्धि के लिए विभिन्न क्रियाकलापों को प्रचालित करने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के संसाधनों की कमी को पूरा करना है।
